छठी
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2017-2018

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

श्री अनिल कुमार	–	अध्यक्ष
श्री डूंगर सिंह राठौड़	–	निदेशक
श्रीमती मंजू जाखड़	–	निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	–	निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	–	निदेशक
श्रीमती कमला देवी	–	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	–	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	–	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	–	निदेशक
श्री मेवाराम बैरवा	–	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	–	अतिरिक्त निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव
श्री अनूप गुप्ता

वरिष्ठ प्रबन्धक–वित्त
श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुरूग्राम, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक
मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुरूग्राम, हरियाणा

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,जयपुर
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक,जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक,जयपुर
यस बैंक, जयपुर

रजिस्टर्ड कार्यालय
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91-141-2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों का प्रतिवेदन	1–8
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	9–10
3.	स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक	11–15
4.	वार्षिक लेखा विवरणः	
	(अ) 31 मार्च, 2018 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	16
	(ब) 31 मार्च, 2018 के लिये लाभ–हानि खाता	17
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	18
5.	लेखांकन नीतियों का विवरण	19–22
6.	अनुसूची संख्या (3–37)	23–38
7.	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	39–52
8.	उपस्थिति पर्ची	53
9.	प्रॉक्सी फॉर्म	54

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सातवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी ने कुल रू. 1282.05 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रू. 16.84 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ''पायस'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी एवं अन्य उत्पादों का विक्रय कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों में वृद्धि कर मसाला छाछ का भी विक्रय प्रारम्भ किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड के नाम से मिनरल मिक्सचर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये है। कम्पनी अपने सदस्यों के लिए एन डी डी बी डेयरी सर्विसेज के सहयोग से मॉडल डेयरी फार्म विकसित कर रही है और कम्पनी ने राजस्थान के तीन जिलों (जयपुर, सीकर और अजमेर) में आठ मॉडल डेयरी फार्म विकसित किए है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,
ह./-
(रतन कुमार सिंह)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते छठी वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रू. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।
कुल आय	**1282.05**	1062.19
कुल लागत (व्यय सहित)	**1256.14**	1045.32
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	**25.91**	16.87
कर हेतु प्रावधान	**9.07**	5.72
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	**16.84**	11.15

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 1282.05 करोड़ की कुल आय प्राप्त की जो एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की कुल आय रू. 1282.05 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रू. 1062.19 करोड़ की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रू. 1045.32 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ कुल व्यय रू. 1256.14 करोड़ रहे है।

समीक्षा वर्ष में कर के पश्चात लाभ रू. 16.84 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष कर के पश्चात लाभ रू. 11.15 करोड़ की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रू. 9/- प्रति समता अंश की दर से कुल रू.3.68 करोड़ लाभांश राशि (जिसमें रू.62.70 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI की अनुपालना में निदेशक मंडल ने रू. 13.16 करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में जमा करने का प्रस्ताव है।

संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 3,196 गाँवों में 3,438 दुग्ध संकलन केन्द्र से दुग्ध संकलन कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने 26.94 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया, जिसमें पिछले वर्ष 23.03 करोड़ लीटर दुग्ध संकलन की तुलना में 16 प्रतिशत की

वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से, 1.13 करोड़ लीटर गाय का दूध थोक बिक्री के लिए था। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार एवं मात्रा में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। पिछले वर्ष पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 242 लाख लीटर व 653 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 286 लाख लीटर व 809 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ब्रिकी आगे बढेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

विजिट (Visit)

हमे आपको सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि पायस के अनुभव से सीखने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के उच्चाधिकारी ने पायस की विजिट की है।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुन: ''AA-'' (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण पात्रता पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी ग्राहकों को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियां
फिट एन फाइन	डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5 । एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L , 6L
ताजा	टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 । एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L , 6L
गोल्ड	फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0 । एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L , 6L
चाय विशेष	होमोलाइज्ड़ टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 । एस.एन.एफ: 8.5	200ml, 500ml, 1L, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में दुग्ध का विक्रय करती है।

दही

पायस ''दही'' का 200 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 400 ml के पैक और मसाला छाछ का 200ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी 1 लीटर/आधा लीटर (सिक्का पैक) एवं 15 किलोग्राम के टिन में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

पायस उत्पादों से मिली उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी नए उत्पादों को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी ने अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी की लगभग 27,245 मैट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की। गत वर्ष की तुलना में इस बिक्री में 32 प्रतिशत की वृद्धि रही। पिछले 4 वर्षो के दौरान, पशु आहार की बिक्री लगभग 4 गुना बढ़ी है।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर (Rajasthan Specific Mineral Mixture)

राजस्थान की मिट्‌टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था की है और इसे कम्पनी अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 82 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर वितरित किया है।

चारा (Fodder)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाली उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

चारा फसल (थॉर्नलेस कैक्टस, नेपियर घास) प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति की है। छोटे और सीमान्त दूध उत्पादकों के लिए, कम्पनी ने कम लागत वाले साईलेज बैग (क्षमता 1 मैट्रिक टन) उपलब्ध करवायें है, जिसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही और इसके 137 प्रदर्शन किये गये। इसके अतिरिक्त, एन डी डी बी डेयरी सर्विसेज के सहयोग से मॉडल डेयरी फार्म परियोजना के अंतर्गत 0.5 मैट्रिक टन की क्षमता वाले 80 साइलेज बैग का प्रदर्शन किया गया।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ते दामों पर गुणवतायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, ज्वार, मक्का, जई और बाजरा के बीजों का वितरण कर रही है। कम्पनी ने नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (NDDB) आनंद से हाइब्रिड नेपियर के स्टेम लेकर दूध उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किये गये जिससे वर्षभर हरा चारा उपलब्ध रहे। कुल 454 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी किसानों को विभिन्न प्रकार के चारा बीज जैसे ड्रमस्टीक्स, फोडर बीट और चाइनीज केबिज इत्यादि का वितरण प्रारम्भ करने की संभावना है।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

कम्पनी मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए अपने सदस्यों को एन डी डी बी डेयरी सर्विसेज के सहयोग से सहायता प्रदान कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने राजस्थान के तीन जिलों (जयपुर, सीकर और अजमेर) में आठ मॉडल डेयरी फार्म विकसित किए है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। पायस ने राजस्थान के पांच जिलों जयपुर, सीकर, टोंक, पाली तथा अजमेर में सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 16483 उत्पादकों/सदस्यों ने भाग लिया। 16486 उत्पादकों/सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 5503 महिला दुग्ध उत्पादकों के लिये महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य उद्‌देश्य दुग्ध उत्पादकों को डेयरी गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना था।

इसके अतिरिक्त, 1,427 ग्रामीण युवाओं को 'ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण युवाओं को डेयरी के महत्व को समझाकर इसे भावी आजीविका के अतिरिक्त/वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित करना था और ग्रामीण बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत 412 ग्रामीण बच्चों को दुग्ध एवं

दुग्ध उत्पादों की पोषक तत्वों और गुणवता पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हे अपने आप को स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने के लिए उत्साहित किया गया।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए और दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुडाव को प्रभावशाली बनाया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर 2717 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 11,021 सदस्य थे और 207 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2717 सदस्य शामिल थे। कम्पनी ने सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें 64 सदस्यों को नेतृत्व कर्तव्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षित किया गया।

आगे, निदेशक मंडल के सदस्यों को नीति अभिशासन और वित्तीय मॉडयूल पर प्रशिक्षण दिया गया। एक्सपोजर विजिट के रूप में, बोर्ड के सदस्यों ने कोच्चि में आयोजित 46वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया।

उप–परियोजना योजना (Sub Project Plan)

कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए एन डी डी बी में स्थित, परियोजना प्रबंधन ईकाई को नेशनल डेयरी योजना – फेज प्रथम के तहत चार उप–परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस)(Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)
3. व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप, (Pilot Model For viable Artificial Insemination Delivery (AI)
4. चारा विकास संपूर्ण (Fodder Development Completed)

परियोजना प्रबंधन ईकाई ने नेशनल डेयरी प्लान–फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप–परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं कों कम्पनी राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोंक में कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली का उद्देश्य दुग्ध संकलन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न हितधारकों की समताओं को बढाते हुए कम्पनी को मजबूत करना है। इसका ध्येय एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी दुग्ध संकलन एकत्रिकरण तंत्र स्थापित करना और सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली द्वारा लघु कृषकों की पहुँच पूरे साल संगठित डेयरी बाज़ार तक बनाये रखकर उनके हितो की रक्षा सुनिश्चित करता है।

कम्पनी ने उप–परियोजना योजना (एस.पी.पी.) के क्षेत्र से संबंधित 2811 (गाँवों में निरस्त सदस्यों सहित) गाँवों में स्थित 141392 (निरस्त सदस्यों सहित) सदस्यों से 645 TKgPD दुग्ध का संकलन किया।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी ने 2,700 गाँवों तक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए नेटवर्क विकसित किया है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बडे.पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कम्पनी ने 1528 (cumulative) लोकल रिसोर्स पर्सन (LRP) का परिनियोजन किया है, जिन्होनें 2763 (cumulative) गाँवों के 1,98,601 (cumulative) जानवरों के लिए राशन बैंलेसिंग का कार्य किया है।

व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप

(Pilot model for viable Artificial Insemination delivery (AI))

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात एन डी डी बी के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुन: गर्मी की जांच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जाँच एवं पशु के ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉटवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओ को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर वास्तविक अनुभव ग्रहण करने हेतु उचित कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। पूर्ण प्रशिक्षण पश्चात उन्हे आवश्यक उपकरण प्रदान कर दुग्ध उत्पादको के घर तक उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर नियुक्त किया जाता है, प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु मैट मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) की उस क्षेत्र में जिसमें लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आते है, की नियुक्ति की जाती है। एक वेटरनरी एक्जीक्यूटिव प्रत्येक क्षेत्र का प्रबंध करता है। एक पशु प्रजनन अधिकारी लगभग 6-7 वेटरनरी एक्जीक्यूटिव को तकनीकी व प्रंबधकीय सहायता प्रदान करता है।

कम्पनी ने 450 केन्द्रों के माध्यम से 3596 गाँव में 2,47,916 से अधिक (प्रथम AI फोलो-अप में 42 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता) AI की है।

चारा विकास (Fodder Development)

कम्पनी ने चारा विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, चारा फसल काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन किये गये। कम्पनी ने 1 हजार (All cumulative) गाँवों को कवर करते हुऐ 189 ऑटो एंड मेन्युअल मॉवर, 100 साइलेज बनाने एवं 3 चारा भण्डारण प्रदर्शन के साथ समाप्त किया। यह चारा विकास परियोजना 31 मार्च, 2017 को अत्यधिक संतोषजनक टिप्पणी (96 प्रतिशत रेटिंग) के साथ समाप्त किया।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यान आकर्षण का क्षेत्र है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, आर.एम. जाँच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्ट्रयूज मशीन, सोडियम विश्लेषक और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए छ: अवशीतन केन्द्रो पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवता का दुग्ध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रीजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के लिए कौशल सुधार हेतु बाहय प्लांट विजिट के साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

निदेशक (Directors)

श्री भगवान सहाय और श्री बलदेव राम बेरवाल, कम्पनी के निदेशक के पद का कार्यकाल 11 सितम्बर, 2017 को समाप्त होने से सेवानिवृत हुए। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतू धन्यवाद देता हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, श्री सुखपाल जाट को 11 सितंबर, 2017 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

श्री श्रीराम सिंह को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 26.06.2018 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गो में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नही करने पर यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 57 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2018 को दिये गये संरक्षता के मानदण्डों को पूरा किया हैं। इसी प्रकार इन कुल 57 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमश: 16 प्रतिशत श्रेणी-ए, 25 प्रतिशत श्रेणी-बी तथा 59 प्रतिशत श्रेणी-सी के हैं। जबकि उक्त श्रेणी ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमश: 59%, 24% एवं 17% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी-ए में 6, श्रेणी-बी में 3 तथा श्रेणी-सी में 2 निदेशक होती हैं। बोर्ड अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री अनिल कुमार, कम्पनी के निदेशक, जिन्होनें अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए आगामी आम सभा में सेवानिवृत होंगे और उनके स्थान पर श्रेणी ए में एक निदेशक नियुक्त होंगे।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने श्री रामचरण जाट ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि हैं को श्रेणी ए के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की हैं।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी, कम्पनी के निदेशक, ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत (Retire by Rotation) होने के लिये उत्तरदायी है और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनके पुन: नियुक्ति की अनुशंसा की हैं।

कम्पनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.7 के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर, जिन्हें दिनांक 27.02.2018 को बोर्ड द्वारा कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और जो कम्पनी सातवीं वार्षिक आम सभा तक अपना कार्य सभालेंगे एवं योग्य होने के कारण पुन: नियुक्त हो सकते है जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होगें। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की हैं।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी ए के कुल 4 निदेशक हो जायेंगें और एक पद रिक्त रहेगा।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है इसलिये सातवीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी बी में कोई सेवानिवृति /चुनाव नहीं हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री मेवाराम बैरवा, कम्पनी के निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत (Retire by Rotation) होने के लिये उत्तरदायी है और उनके स्थान पर श्रेणी ए में एक निदेशक नियुक्त होंगे।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी सी के कुल 3 निदेशक हो जायेंगें।

सदस्यता/वोटे देने का अधिकार/अंश पूंजी

31 मार्च, 2018 को प्रदत्त अंश पूंजी रु 33.89 करोड है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 97816 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 34630 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण निरस्त/समर्पित कर दी गई हैं। 31 मार्च, 2018 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 7488 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 16144 सदस्यों की सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 89160 है। सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी अथवा श्रेणी सी (जो भी लागू हो) के संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 में दर्शाये गये 97816 सदस्यों में से 35406 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्रों में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 9996 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षकता की अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नहीं कर सकतें हैं। शेष 52414 सदस्यों में 16144 सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है और शेष 36270 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान न्यूनतम 200 दिनों में कम से कम 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति नही करने के कारण सातवीं वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं हैं।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2018 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लाभांश एवं सातवीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:-

a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते है।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण-

पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुन:नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशकों ने मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) को कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढा जाये के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नही की है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर यथोचित रूप से लागू होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 निरस्त नही किया गया, जब तक उनके लिए एक विशेष अधिनियम नही बनाया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 25 नवम्बर, 2015 और 9 मार्च, 2016 को CSR प्रावधानों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिकता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कम्पनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), नई दिल्ली के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल किया है। MCA से स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नही हुआ है। MCA से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर CSR प्रावधानों का अनुपालन प्रारम्भ किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढा जाये।

(i) कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एन डी डी बी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल
ह./-
(अनिल कुमार)
अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 4 अगस्त, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन (Auditors' Report)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2018 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) को कम्पनीज (लेखा मानकों) नियम, 2006 एवं संशोधित (लेखा मानकों) के साथ पढें जाने तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों।

इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अतंर्गत बने नियमों एवं अधिनियम की धारा 143(11) के तहत जारी आदेश के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रकिया अपनाना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिये गलत तथ्यात्मक कथनों से संबंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतू अंकेक्षक इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके सही एवं उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक हैं। साथ ही अंकेक्षण में लेखांकन के लिये प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा कम्पनी के निदेशकों के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ-साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरण पर अंकेक्षण राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय (Opinion)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, अधिनियम के तहत् चाही गई सूँचनाये देते है साथ ही 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-
   (अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
   (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
   (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
   (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है।
   (य) 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2018 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।
   (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुलग्नक अ'' को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
   (ल) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
      i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 27 को देखें।
      ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।
      iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016(आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगें जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थें जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमनें विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''अ''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 3(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिंम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2018 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक– ''ब''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :–

अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नही पाई गई है।

स . हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।

(ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii)कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मो, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv)कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गांरटी प्रदान नही की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(vi)कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(vii)वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यो के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नही हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2018 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, वैट, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2018 को देय नही है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों के ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की हैं। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

(ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नही की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

(xi) कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते है।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नही है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागु हों, संबधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबन्धित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुडे. लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकदी व्यवहार नही किये हैं अत: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागु नही होते हैं।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नही है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''स''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गयें स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

3. 31 मार्च, 2018 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को आर्थिक चिट्ठा

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
अ.	**समता एवं दायित्व**			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूंजी	3	338,938,900	307,248,400
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	475,410,057	292,329,957
			814,348,957	599,578,357
	2. आंवटन हेतू लंबित अंश आवेदन राशि		5,919,000	5,376,300
	3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	161,962,132	233,972,742
	4. गैर-चालू दायित्व			
	(अ) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	6	2,414,807	3,756,805
	(ब) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	102,523,013	96,591,974
			104,937,820	100,348,779
	5. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	8	955,408,952	946,471,192
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	9		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		512,929,143	484,004,093
	(स) अन्य चालू दायित्व	10	47,902,691	40,241,600
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	11	16,002,923	-
			1,532,243,709	1,470,716,885
	योग		**2,619,411,618**	**2,409,993,063**
ब.	**संपत्तियां**			
	1. गैर चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्थायी संपत्तियाँ			
	(i) मूर्त संपत्तियाँ	12अ	263,191,405	317,732,339
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	12ब	48,903,056	89,094,819
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	12स	35,825,550	44,334,363
			347,920,011	451,161,521
	(ब) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	7,248,795	7,446,638
			355,168,806	458,608,159
	2. चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्टॉक	14	126,291,602	104,839,616
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	15	1,435,515,143	1,089,085,709
	(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	16	647,514,942	734,242,382
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	44,990,928	19,825,558
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	18	9,930,197	3,391,639
			2,264,242,812	1,951,384,904
	योग		**2,619,411,618**	**2,409,993,063**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./- **अनिल कुमार** निदेशक

ह./- **मंजू जाखड़** निदेशक

ह./- **रतन कुमार सिंह** निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./- **अनूप गुप्ता** कम्पनी सचिव

ह./- **कपिल पचौरी** वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	**व्यवसाय से आय**	19	12,786,356,755	10,590,927,224
2.	**अन्य आय**	20	34,204,469	31,058,076
3	**कुल आय (1+2)**		**12,820,561,224**	**10,621,985,300**
4.	**व्यय**			
	(अ) खपत की गई सामग्रीयों की लागत	21	-	33,868,879
	(ब) व्यवसायिक माल का क्रय	22	11,609,200,619	9,579,671,873
	(स) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	23	(21,959,851)	(22,510,453)
	(द) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	24	84,059,329	83,932,942
	(य) वित्त लागत	25	60,870,554	72,457,143
	(र) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	12	34,324,508	33,728,200
	(ल) अन्य व्यय	26	794,912,157	672,094,505
	कुल व्यय		**12,561,407,316**	**10,453,243,089**
5.	**कर पूर्व लाभ(3–4)**		259,153,908	168,742,211
6.	**कर व्यय**			
	(अ) चालू कर		92,100,000	58,000,000
	(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा) (Deferred Tax Charge/(Credit)		(1,341,998)	(812,126)
	शुद्ध कर व्यय		90,758,002	57,187,874
7.	**वर्ष का लाभ (5–6)**		**168,395,906**	**111,554,337**
8.	**प्रति समता अंश आय:**	32		
	(न्यूनतम मूल्य रू.100/– प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		56.80	47.13
	(ब) डायल्यूटेड		56.79	47.13

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।
हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
अनिल कुमार
निदेशक

ह./–
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./–
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	कर से पूर्व लाभ	259,153,908	168,742,211
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत	59,734,310	72,432,002
	ब्याज से आय	(21,659,296)	(18,215,465)
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	34,324,508	33,728,200
	संपत्तियों के सेवानिवृत्ति पर हानि	150,290	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	**331,703,720**	**256,686,948**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(21,451,985)	(22,354,174)
	व्यापारिक लेनदारियाँ में कमी/(वृद्धि)	(346,429,434)	(2,262,966)
	अन्य चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(64,728)	-
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	197,843	(419,546)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(25,165,370)	1,034,903
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (कमी)/वृद्धि	5,931,039	9,979,883
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/ वृद्धि	28,925,050	63,989,818
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/ वृद्धि	3,301,644	6,196,604
	व्यवसाय से उत्पन्न/(कमी) रोकड़	**(23,052,222)**	**312,851,469**
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(76,097,077)	(78,473,604)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी) (अ)	**(99,149,299)**	**234,377,865**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	बैंक शेष में कमी /(वृद्धि) जोकि		
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(15,289,049)	12,355,356
	अचल संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय		
	(प्राप्त पूँजीगत अनुदान का शुद्ध)	(3,243,898)	(44,367,047)
	प्राप्त ब्याज	15,185,466	17,097,854
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/ (कमी) (ब)	**(3,347,481)**	**(14,913,837)**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ	26,314,200	68,950,300
	अंश आवेदन हेतू प्राप्त राशि	5,919,000	5,376,300
	प्रतिभूति (Security) प्रीमियम से प्राप्तियाँ	44,267,950	-
	कार्यशील पूंजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	8,937,760	(43,421,242)
	लाभांश का भुगतान लाभांश कर सहित	(29,583,756)	(32,047,961)
	वित्त लागत भुगतान	(55,374,862)	(83,228,328)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह / (कमी) (स)	**480,292**	**(84,370,931)**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	**(102,016,488)**	**135,093,096**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	540,064,169	404,971,073
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**438,047,681**	**540,064,169**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	103,896,437	438,246,241
	जमा खातों में	334,151,244	101,817,928
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	**438,047,681**	**540,064,169**
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	209,467,261	194,178,213
	चिट्ठे के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	**647,514,942**	**734,242,382**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
अनिल कुमार
निदेशक

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./-
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार है:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम 2013'')/कम्पनी अधिनियम 1956 (''अधिनियम 1956'') के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये है। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के भाग IX के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगें जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियो के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ .एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल है। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते है (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते है तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चो, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

g. अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से पुन: वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतू चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौदयौगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य-ह्रास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिल्डिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रू. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य ह्रास लगाया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतू किये गये है। तैयार माल में ऊपरी खर्चो का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तो का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित

अनुदान के तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चो में से घटा दिया जाता हैं।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(a) निर्धारित लाभ योजनायें।

गेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खातें में दर्शाया जाता है।

(a) अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

(a) दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नही थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर–शोषित–मूल्य ह्रास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुऐ भविष्य में प्रर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों

की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी संपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नही हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतो का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतू समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नही जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोटस में दर्शाया जाता है।

r. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

s. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति		31 मार्च 2017 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
3.	**अंश पूंजी**				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-	**3,500,000**	**350,000,000**	**3,500,000**	**350,000,000**
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-	**3,389,389**	**338,938,900**	**3,072,484**	**307,248,400**

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के रू. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
	वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	3,072,484	307,248,400	2,280,473	228,047,300
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	316,905	31,690,500	792,011	79,201,100
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	**3,389,389**	**338,938,900**	**3,072,484**	**307,248,400**

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नही है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	262,746,201	180,775,620
	जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण		
	मे अधिशेष से अंतरित	131,621,115	81,970,581
	अंतिम शेष	394,367,316	262,746,201
	(ब) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	29,583,756	–
	जोड़िये : वर्ष का लाभ	168,395,906	111,554,337
	घटाईयें :		
	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को		
	(रू.8/– प्रति समता अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	24,579,872	–
	उपरोक्त सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	5,003,884	–
	सामान्य संचय में अंतरित	131,621,115	81,970,581
	अंतिम शेष –	36,774,791	29,583,756
	(स) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
	प्रारम्भिक शेष	–	–
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	44,267,950	-
	अंतिम शेष –	44,267,950	-
		475,410,057	**292,329,957**
5.	**स्थगित अनुदान (Deferred Grant)**		
	प्रारम्भिक शेष	233,972,742	225,583,738
	वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान का		
	उपयोग (नोट 33 को देखें)	620,695	83,649,734
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों		
	पर मूल्य ह्रास (नोट 12 को देखें)	72,631,305	75,260,730
	अंतिम शेष	**161,962,132**	**233,972,742**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
6.	**स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)**		
	(Deferred tax liability (Net))		
	(अ) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा है :		
	(i) अचल संपत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	2,455,938	3,756,805
		2,455,938	3,756,805
	(ब) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा है :		
	(i) आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(i)(a) के अंतर्गत अस्वीकृत।	41,131	-
		41,131	-
	शुद्ध स्थगित कर दायित्व/(संपत्तियां)	**2,414,807**	**3,756,805**
7.	**अन्य दीर्घकालीन दायित्व**		
	(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	102,523,013	96,591,974
		102,523,013	**96,591,974**
8.	**अल्पकालीन ऋण**		
	(अ) असुरक्षित ऋण		
	(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	955,408,952	946,471,192
		955,408,952	**946,471,192**
9.	**व्यावसायिक देनदारियाँ**		
	(अ) व्यावसायिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर)		
	(नोट 35 को देखें)	512,929,143	484,004,093
		512,929,143	**484,004,093**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
10.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	18,824,010	14,780,935
	(ब) अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नही	8,395,321	4,035,873
	(स) अदत्त/बिना दावे का (Unclaimed) लांभाश	6,263,436	6,098,025
	(द) वैधानिक देय (भविष्य निधि में योगदान, कर रोका हुआ, सेवा कर, वैट, जी.एस.टी. आदि)	3,862,595	5,487,737
	(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	10,557,329	9,839,030
		47,902,691	**40,241,600**
11.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	(अ) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध अग्रिम कर रू. 7,71,83,962, पिछले वर्ष रू. Nil)	16,002,923	–
		16,002,923	**–**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

12. अचल संपत्तियां

(राशि ₹ में)

	विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास / क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2017 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन	31 मार्च 2018 को स्थिति	01 अप्रैल, 2017 को स्थिति	वर्ष के लिये	संपत्तियों के निष्कासन पर हानि	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
(अ)	मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)										
	बिल्डिंग	6,830,618	373,700	-	7,204,318	4,058,934	676,767	-	4,735,701	2,468,617	2,771,684
	(पिछले वर्ष)	(4,618,338)	(2,212,280)	(-)	(6,830,618)	(135,273)	(3,923,661)	(-)	(4,058,934)	(2,771,684)	(4,483,065)
	प्लांट एवं उपकरण	420,325,987	11,320,604	305,811	431,340,780	133,989,099	48,732,967	160,709	182,561,357	248,779,423	286,336,888
	(पिछले वर्ष)	(336,712,872)	(83,613,115)	(-)	(420,325,987)	(88,702,945)	(45,286,154)	(-)	(133,989,099)	(286,336,888)	(248,009,927)
	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	23,241,255	47,908	10,534	23,278,629	21,411,113	362,860	5,345	21,768,628	1,510,001	1,830,142
	(पिछले वर्ष)	(20,634,820)	(2,606,435)	(-)	(23,241,255)	(18,964,489)	(2,446,624)	(-)	(21,411,113)	(1,830,142)	(1,670,331)
	ऑफिस उपकरण	6,458,043	-	-	6,458,043	1,818,705	606,721	-	2,425,426	4,032,617	4,639,338
	(पिछले वर्ष)	(6,318,933)	(139,110)	(-)	(6,458,043)	(1,213,432)	(605,273)	(-)	(1,818,705)	(4,639,338)	(5,105,501)
	कम्प्यूटरर्स	81,698,940	-	119,139	81,579,801	59,544,654	15,753,539	119,139	75,179,054	6,400,747	22,154,286
	(पिछले वर्ष)	(77,982,939)	(3,716,001)	(-)	(81,698,940)	(33,274,703)	(26,269,951)	(-)	(59,544,654)	(22,154,286)	(44,708,236)
	योग(अ)	**538,554,843**	**11,742,212**	**435,484**	**549,861,571**	**220,822,505**	**66,132,854**	**285,193**	**286,670,166**	**263,191,405**	**317,732,339**
	गत वर्ष	(446,267,902)	(92,286,941)	(-)	(538,554,843)	(142,290,842)	(78,531,663)	(-)	(220,822,505)	(317,732,339)	(303,977,060)
(ब)	अमूर्त संपत्तियां (स्वयं के अलावा अन्य अर्जित)										
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	133,436,698	631,195	-	134,067,893	44,355,430	40,809,407	-	85,164,837	48,903,056	89,081,268
	(पिछले वर्ष)	(78,333,256)	(55,103,442)	-	(133,436,698)	(13,916,163)	(30,439,267)	-	(44,355,430)	(89,081,268)	(64,417,093)
	ट्रेड मार्क	90,000	-	-	90,000	76,449	13,551	-	90,000	-	13,551
	(पिछले वर्ष)	(90,000)	(-)	-	(90,000)	(58,449)	(18,000)	-	(76,449)	(13,551)	(31,551)
	योग(ब)	**133,526,698**	**631,195**	**-**	**134,157,893**	**44,431,879**	**40,822,958**	**-**	**85,254,837**	**48,903,056**	**89,094,819**
	गत वर्ष	(78,423,256)	(55,103,442)	(-)	(133,526,698)	(13,974,612)	(30,457,267)	(-)	(44,431,879)	(89,094,819)	(64,448,644)
(स)	प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य									35,825,550	44,334,363
	योग(स)	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**35,825,550**	**44,334,363**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स :	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	(राशि ₹ में)	(राशि ₹ में)
(i) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी खर्चे		
मूर्त संपत्तियों पर	66,132,854	78,531,663
अमूर्त संपत्तियों पर	40,822,958	30,457,267
घटाईए : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	72,631,305	75,260,730
	34,324,508	**33,728,200**

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 33 को देखें):– (राशि ₹ में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2017 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन	31 मार्च 2018 को स्थिति	01 अप्रैल, 2017 को स्थिति	वर्ष के लिये	संपत्तियों के निष्कासन पर हानि	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
मूर्त संपत्तियां :.										
बिल्डिंग	3,190,183	–	–	3,190,183	418,497	303,067	–	721,564	2,468,619	2,771,686
प्लांट एवं उपकरण	150,204,036	2,526,691	–	152,730,727	46,353,193	18,131,847	–	64,485,040	88,245,686	103,850,843
ऑफिस उपकरण	4,888,788	–	–	4,888,788	1,352,188	461,238	–	1,813,426	3,075,362	3,536,600
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	19,775,233	–	–	19,775,233	19,186,906	45,132	–	19,232,038	543,195	588,327
कम्प्यूटरर्स	72,930,046	–	–	72,930,046	54,355,050	14,106,849	–	68,461,899	4,468,147	18,574,996
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	129,612,698	620,695	–	130,233,393	43,206,189	39,583,172	–	82,789,361	47,444,032	86,406,509
योग	**380,600,984**	**3,147,386**	**–**	**383,748,370**	**164,872,023**	**72,631,305**	**–**	**237,503,328**	**146,245,041**	**215,728,961**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
13.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	292,850	240,050
	(ब) पूर्वदत्त व्यय	131,200	381,843
	(स) अग्रिम कर (प्रावधानों का शुद्ध रू. 17,80,26,612, पिछले वर्ष रू. 17,80,26,612)	6,824,745	6,824,745
		7,248,795	**7,446,638**
14.	**स्टॉक**		
	(लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) तैयार माल	–	50,053,321
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड	75,409,951	19,666,898
	(स) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	50,881,651	34,611,532
	(द) स्टोर्स तथा स्पेयर्स	–	507,865
		126,291,602	**104,839,616**
15.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) देय तिथि से 6 माह की कम अवधि के लिए बकाया	1,435,515,143	1,089,085,709
		1,435,515,143	**1,089,085,709**
16.	**रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	103,896,437	438,246,241
	(ब) जमा खातों में		
	–वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से कम	334,151,244	101,817,928
	रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	**438,047,681**	**540,064,169**
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	182,052,623	146,387,655
	(ii) बैंक ऋण के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष	21,151,202	41,692,533
	(iii) निर्धारित खातों में		
	–अदत्त लाभांश खातें	6,263,436	6,098,025
		647,514,942	**734,242,382**

नोट:

(i) बैंक में शेष राशि जमाओं सहित रू.1,05,85,685 (पिछले वर्ष रू. 3,10,00,000) इस प्रकार की राशि है, जिसकी परिपक्वता अवधि आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह से अधिक है।

(ii) रू. 2,11,51,202 (पिछले वर्ष रू. 4,16,92,533) की सावधि जमा बैंक ओवरड्राट सुविधा के लिए प्रतिभूत की गई है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
17.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम** (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	44,110	44,110
	(ब) गेच्युटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 78,55,495, पिछले वर्ष रू. 60,25,647)	465,443	239,276
	(स) अवकाश का नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 53,56,656 पिछले वर्ष रू. 37,28,918)	3,141,687	3,183,555
	(द) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	7,183,482	4,040,079
	(य) पूर्वदत्त व्यय	3,070,730	2,488,372
	(र) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	11,390,454	7,024,450
	(ल) एन.डी.डी.बी. से प्राप्त अनुदान (नोट 33 देखें)	19,695,022	2,805,716
		44,990,928	**19,825,558**
18.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	9,865,469	3,391,639
	(ब) अन्य प्राप्तियां	64,728	-
		9,930,197	**3,391,639**
19.	**व्यवसाय से आय**		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	13,843,002,719	11,509,137,929
	(ii) घटाईये : तृतीय पक्ष (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (निर्दिष्ठ नोट संख्या (i) देखें)	1,056,645,964	918,210,705
	(iii) शुद्ध विक्रय	**12,786,356,755**	**10,590,927,224**

नोट: (i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।

	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
	विक्रय किये गये उत्पाद		
	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	10,881,275,170	9,045,159,010
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	1,059,131,063	832,324,276
	(स) अन्य दूध उत्पादक	52,076,849	55,410,310
	(द) घी	295,569,628	197,456,153
	(य) पशु आहार	487,012,282	394,269,276
	(र) सीमेन	11,291,763	32,275,577
	कुल	**12,786,356,755**	**10,556,894,602**
	(iii) निर्मित माल		
	(अ) घी	-	34,032,622
	कुल	-	34,032,622
	योग (ii+iii)	**12,786,356,755**	**10,590,927,224**
20.	**अन्य आय**		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	21,659,296	18,215,465
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	1,378,573	2,934,900
	(ii) विविध आय	11,166,600	9,907,711
		34,204,469	**31,058,076**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
21.	**खपत की गई सामग्रीयों की लागत**		
	कच्चा दुग्ध		
	(अ) प्रारम्भिक स्टॉक	–	–
	(ब) जोड़िये : क्रय	–	33,868,879
		–	33,868,879
	(स) घटाईये : अंतिम स्टॉक	–	–
		–	**33,868,879**
22.	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	9,741,747,322	8,045,711,220
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	1,030,746,406	855,602,223
	(स) घी	311,278,009	214,826,839
	(द) पशु आहार	463,784,495	373,206,921
	(य) अन्य दूध उत्पादक	51,700,609	56,644,188
	(र) सीमेन	9,943,778	33,680,482
		11,609,200,619	**9,579,671,873**
23.	**तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन**		
	तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी/(वृद्धि)		
	(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	19,666,898	18,225,502
	तैयार माल	50,053,321	33,938,581
	स्टॉक इन ट्रांजिट	34,611,532	29,657,215
		104,331,751	**81,821,298**
	(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	75,409,951	19,666,898
	तैयार माल	–	50,053,321
	स्टॉक इन ट्रांजिट	50,881,651	34,611,532
		126,291,602	104,331,751
	स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	**(21,959,851)**	**(22,510,453)**
24.	**कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन एवं मजदूरी	72,908,305	75,256,882
	(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	7,069,416	7,914,628
	(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	4,081,608	761,432
		84,059,329	**83,932,942**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
25.	**वित्त लागत**		
	(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	59,734,310	72,432,002
	(ब) वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	1,136,244	25,141
		60,870,554	**72,457,143**
26.	**अन्य व्यय**		
	(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	7,832,268	2,973,675
	(b) पॉवर एवं यूल	2,293,741	1,626,867
	(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	122,010,501	102,018,269
	(d) किराया	6,430,726	4,897,334
	(e) दर तथा कर	192,470	1,190,258
	(f) मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	5,193,718	3,828,815
	(g) मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	36,381,702	20,246,256
	(h) मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	1,335,102	1,375,142
	(i) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	28,678,212	28,165,809
	(j) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	445,783,393	372,630,366
	(k) बीमा भार	3,082,290	2,871,992
	(l) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	27,477,720	26,902,161
	(m) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	1,628,577	1,307,033
	(n) यात्रा एवं परिवहन व्यय	13,092,962	16,777,565
	(o) प्रशिक्षण व्यय	3,172,685	2,759,768
	(p) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	63,351,770	63,590,709
	(q) संप्रेषण व्यय	12,001,580	7,274,048
	(r) अचल संपत्तियां के विक्रय पर हानि	150,290	-
	(s) विविध व्यय	14,822,450	11,658,438
		794,912,157	**672,094,505**
नोट:			
(i)	**अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है :**		
	(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1,180,000	850,000
	(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	175,000	175,000
	(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	25,150	111,550
	(द) उपरोक्त पर सेवाकर/जी.एस.टी.	248,427	170,483
		1,628,577	**1,307,033**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
27.	**आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धतायें**		
	अ. आकस्मिक दायित्व		
	(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया		
	(i) मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावें	836,500	836,500
	ब. प्रतिबद्धतायें		
	पूंजी खातें पर निष्पादित होने वाले शेष सविदा के अनुमानित राशि और प्रदान नही किया गया (शुद्ध अग्रिमों का भुगतान रू. Nil)	937,793	11,545,749

28. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 04 अगस्त, 2018 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 3,05,04,501 (रू. 9 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में शामिल नही किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है। कुल समता लाभांश और उस पर टैक्स की राशि क्रमशः रू. 3,05,04,501 और रू. 62,70,290 है।

29. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रू. 59,19,000 की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 23 जून, 2018 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंवटन कर दिया गया है।

30. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्व निर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू. 5,458,634 (पिछले वर्ष रू. 5,198,517) की राशि को लाभ-हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षो तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
i.	**निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,025,647	3,782,730
	ब्याज लागत	443,680	253,748
	चालू सेवा लागत	1,988,693	1,761,120
	लाभ का भुगतान	(266,966)	(825,810)
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(335,559)	1,053,859
	वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**7,855,495**	**6,025,647**
ii.	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के प्रारम्भ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	6,264,923	4,436,814
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	560,468	411,378
	योगदान	1,836,949	2,301,303
	लाभ का भुगतान	(266,966)	(825,810)
	योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(74,436)	(58,762)
	वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	**8,320,938**	**6,264,923**
iii.	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	560,468	411,378
	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(74,436)	(58,762)
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	**486,032**	**352,616**
iv.	**चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,855,495	6,025,647
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	8,320,938	6,264,923
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	**(465,443)**	**(239,276)**
v.	**लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	1,988,693	1,761,120
	ब्याज व्यय	443,680	253,748
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(560,468)	(411,378)
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	(261,123)	1,112,621
	लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	**1,610,782**	**2,716,111**
vi.	**चिट्ठे का मिलान**		
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	(239,276)	(654,084)
	उपरोक्तानुसार व्यय	1,610,782	2,716,111
	योगदान	(1,836,949)	(2,301,303)
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियाँ)	**(465,443)**	**(239,276)**

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में सूचना सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चो हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्वता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चो की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii. **मुख्य बीमांकिक अनुमान**	**31 मार्च, 2018**	**31 मार्च, 2017**
बट्टे की दर	7.70 % वार्षिक	7.53 % वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00 % वार्षिक	10.00 % वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.95 % वार्षिक	7.95 % वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
आयु 44 और इससे अधिक	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
Mortality table used	(2006-08) (अन्तिम)	(2006-08) (अन्तिम)

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धत्ताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. **क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान**

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. **अनुभव समायोजन**

	31.03.2018 (रूपये में)	**31.03.2017 (रूपये में)**	**31.03.2016 (रूपये में)**	**31.03.2015 (रूपये में)**	**31.03.2014 (रूपये में)**
निर्धारित लाभ का वर्तमान मूल्य	7,855,495	6,025,647	3,782,730	1,983,971	7,42,347
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	8,320,938	6,264,923	4,436,814	1,664,551	901,913
पोषित स्थिति	(465,443)	(239,276)	(654,084)	319,420	(159,566)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	335,559	(1,053,859)	(225,553)	(166,013)	2,688
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(74,436)	(58,762)	(121,748)	(30,661)	(30,907)

31. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज़ व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज़ किराया संबंधी रू. 64,30,726 (पिछले वर्ष रू. 48,97,334) के खर्चों को लाभ–हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज़ के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज़ क्रमश: 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। अन्य कार्यालय परिसर का 11 महिने की अवधि के लिये किरायेनामा है, जिससे केवल Lessee द्वारा Lessor की अनुमति से निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नही	4,109,823	4,293,025
	एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नही	8,202,127	10,262,864
	पांच वर्ष बाद देय	224,825	1,573,775
		12,536,775	**16,129,664**

32. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	ईकाई	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	168,395,906	111,554,337
	वर्ष के दौरान भारित औसत अदत्त			
	समता अंशों की संख्या	संख्या	2,964,834	2,366,859
	प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश मूल आय	रूपये	56.80	47.13
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु			
	प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	2,965,002	2,367,017
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	56.79	47.13

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

33. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर
	नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ)	प्रारंभिक शेष	(2,805,716)	(8,765,752)
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त	66,417,912	181,775,631
		63,612,196	**173,009,880**
(स)	वर्ष के दौरान उपयोग		
	(i). पूंजीगत संपतियों के लिये		
	-अचल संपत्तियों के लिये	620,695	83,631,551
	- संपत्तियाँ जो स्थापना के अंतर्गत (CWIP)		18,183
		620,695	83,649,734
	(ii) आयगत व्यय के लिये	82,686,523	92,165,862
	कुल उपयोग (i)+(ii)	83,307,218	175,815,596
(द)	शेष को आगे ले गये(अ+ब-स)	(19,695,022)	(2,805,716)

नोट: पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चो में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 2k)

34. लेखा-मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी(के.एम.पीं)	रतन कुमार सिंह

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:-

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक:-		
रतन कुमार सिंह	4,978,017	4,978,017
	(4,415,100)	(4,415,100)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

35. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के अंतर्गत पंजीकृत नही है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी राशि बकाया नही है।

36. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबन्धित है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत्त है। चूंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS-17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

37. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुनःवर्गीकृत / पुनः एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-
अनिल कुमार	**मंजू जाखड़**	**रतन कुमार सिंह**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./-	ह./-	
अनूप गुप्ता	**कपिल पचौरी**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04 अगस्त, 2018

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. 91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की सातवीं वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 पर निम्न कार्यो के लिये होगी:-

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

2 कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना :-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 9/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 33,89,389 समता अंशो पर रू. 3,67,74,791 (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रू. 62,70,290 शामिल है) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. श्रीमती ममता चौधरी (DIN-07253296), निदेशक मण्डल में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।

4. कम्पनी के वैधानिक लेखा अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 12.80 लाख (अक्षरे बारह लाख अस्सी हजार रूपये) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है।''

5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

6. **श्री नारायण लाल गुर्जर को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

 सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है श्री नारायण लाल गुर्जर (DIN-08075740) जिनको कम्पनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.7 के अनुसार, दिनांक 27.02.2018 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा तक नियुक्त किया गया था, वह निदेशक मंडल में ''श्रेणी-ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते है, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

7. **श्री रामचरण जाट को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्री रामचरण जाट (DIN-08193547) जो कम्पनी के ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

8. **संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मापदण्डों पर विचार कर अनुमोदन करना।**

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

''दिनांक 13.08.2012 को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 13/2011-2012 के स्थान पर एवं कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में, व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (अर्थात संरक्षता) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मापदंड़ नीचे दिए गए है:

क्र.सं.	मापदंड	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी*
1	एक वर्ष में कम्पनी को दूध आपूर्ति किये गये दिनों की संख्या	330 दिन या उससे अधिक	270 दिन या उससे अधिक	200 दिन या उससे अधिक
2	कम्पनी को आपुर्ति किये गये वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)	10000 या उससे अधिक	4000 या उससे अधिक	500 या उससे अधिक
3	एक वित्तीय वर्ष में, शीतकालीन महिनों (नवम्बर से फरवरी) और ग्रीष्मकालीन महिनों (अप्रैल से जुलाई) के दौरान की गई दूध की आपूर्ति की मात्रा	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नही होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नही होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नही होना चाहिए
4	कम्पनी के, अंकित मूल्य प्रति अंश (Share) 100/- रूपये, अभिदान किये गये न्यूनतम अंशो की संख्या	100 अंश	40 अंश	5 अंश

*नोट-

(अ) वास्तविक अंश पूंजी या आपूर्तित किये गये वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, श्रेणी वर्गीकरण करने के लिए माना जाएगा।

(ब) संरक्षता (Patronage) गणना करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :

I. जिन सदस्यों को गत वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया है और अभी तक उन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 365 दिनों को पूरा नही किया है, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक अंश पूंजी ले ली गई है, उन्हें उसी श्रेणी से संबंधित माना जाएगा।

II. कोई भी सदस्य जो श्रेणी ए या श्रेणी बी के तहत मापदंड़ों को पूरा नही करेगा, वह उचित निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके लिए वह सदस्य मापदंड़ों को पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष में निदेशक मंडल के चुनाव के लिए योग्य नही होगा।

III. वे सदस्य जो कम से कम श्रेणी सी को बनाए रखने के लिए आवश्यक मापदंड़ों को पूरा नही कर रहे है, को कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद संख्या 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यता निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाएगा। तत्पश्चात, निदेशक मण्डल इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

9. **कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करना।**

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

''प्रस्ताव पारित किया जाता हैं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 16 व 94 (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 15,00,000 (पंद्रह लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रू 100/-(एक सौ रूपये) प्रत्येक के 35,00,000 (पैंतीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू 35,00,00,000 (केवल रू. पैंतीस करोड़) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 50,00,000 (पचास लाख) समता अंशों में विभाजित रू 50,00,00,000 (अक्षरे पचास करोड़ रूपये) किया जाए।

प्रस्ताव पारित किया जाता हैं कि कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्सख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

''VI. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 50,00,00,000 (अक्षरे पचास करोड़ रूपये) है, जो रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रति शेयर के 50,00,000 (पचास लाख) शेयरों मे विभाजित है।''

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी एवं कम्पनी सचिव को पृथक-पृथक रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

10. **कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन करना।**

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

''प्रस्ताव रखा जाता हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम

2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैं–

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.2 (iii) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें:–
व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नही बन सकता है, यदि

(अ) वह किसी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो जोकि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो अथवा

(ब) वह कम्पनी में प्रत्यक्ष रूप से वेतन पंजिका में अथवा ठेकेदार के माध्यम से अथवा किसी भी संविदात्मक आधार पर वित्तीय वर्ष के तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षो में या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें उससे नामांकित करने का प्रस्ताव है, में लगातार कम से कम 6 माह कार्यरत रहा हो।

(2) अनुच्छेद 9.6 के उप–अनुच्छेद i- के प्रथम वाक्य में दिये गये शब्द ''अनुच्छेद 9.5'' के तुरन्त बाद ''प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत करने के लिए निदेशकों को उनके अंतिम नियुक्ति के पश्चात कार्यालय में सबसे दीर्घ अवधि से है, परन्तु जो निदेशक उसी दिन निदेशक नियुक्त किए गए है। उनके बीच सेवानिवृत होने वाले निदेशक डिफाल्ट रूप से और उनके मध्य किसी भी समझौते के अधीन, बहुत द्वारा निर्धारित (Determined by lot) किया जायेगा'' इन शब्दों को रखा जायें।

(3) अनुच्छेद 9.6 के उप–अनुच्छेद iii के द्वितीय वाक्य में दिये गये शब्द ''लगातार कार्यकाल'' के तुरन्त बाद ''ऐसे निदेशक पद छोड़ने के तीन वर्षो की अवधि के पश्चात, नियुक्ति के पात्र होंगे। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत कार्यकाल के रूप में नही मानी जाएगी'' इन शब्दों को रखा जायें।

(4) वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें:–

बोर्ड में रिक्तता को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को सहयोजित (Co-opt) कर सकता है बशर्ते है कि आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए चुने गए सदस्य ने कम से कम गत दो वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंडों को निरन्तर रूप से पूरा किया हो और अगर बोर्ड नियुक्ति के समय निर्णय लेता है, ऐसे अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा या उसे कम अवधि के लिए कार्यभार संभालेगें। हालांकि, बोर्ड रिक्त पद को भरने के लिए ऐसे व्यक्ति को लगातार दो वित्तीय वर्षो में सहयोजित नही कर सकता है।

(5) निम्न नये अनुच्छेद 9.16 Xiii को वर्तमान अनुच्छेद 9.16 Xii के बाद रखा जायें।

9.16 Xiii वह या उसका रिश्तेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी में (सदस्यता लाभ के अतिरिक्त), दो प्रतिशत अथवा उससे अधिक सकल कारोबार में अथवा कुल आय में अथवा पच्चीस हजार रूपये या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अधिक राशि, जो भी कम हो, तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, का आर्थिक संबंध या लेनदेन किया/करता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./–

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर
दिनांक : 4 अगस्त, 2018

नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज अंतिम रूप से मान्य होंगे।

टिप्पणी: –

1. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।**

2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तो को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड प्रथम वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया है।

4. **सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार: –**

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2017-18), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 97816 सदस्य दर्शाये गये है, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2017-18 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(a) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, ''श्रेणी ए'' के 8545 सदस्य, ''श्रेणी बी'' के 12097 सदस्य और ''श्रेणी सी'' के 14764 सदस्य (कुल 35406 सदस्य) जिन्होने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तो के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तो को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 10 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होगें।

(नोट-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (''श्रेणी ए'' अथवा ''श्रेणी बी'' अथवा ''श्रेणी सी'') के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।

(b) 9996 सदस्य जिन्होनें कम्पनी की आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होनें गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होनें अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तो को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होनें कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तो को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 6 एवं 7) पर वोट नहीं कर सकते है परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 4, 5, 8, 9 और 10 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते है।

(c) कुल 52414 सदस्यों में से 16144 सदस्यों की सदस्यता 31 मार्च, 2018 के पश्चात निरस्त कर दी गई और शेष 36270 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की जिसके कारण उन्हें सूचना पत्र की किसी भी मद पर वोट करने का अधिकार नहीं है।

(d) उपरोक्त उपवाक्य (a),(b),(c) में दर्शाये गये कुल 97816 सदस्यों (35406+9996+52414) में से 16144 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2018 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए ऐसे 16144 सदस्य कम्पनी की आम सभा में भाग नही ले सकते और वोट भी नही कर सकते है। हांलाकि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होगें।

(e) दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 7488 नये सदस्य जोडे गये है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीमित लाभांश के पात्र नही होगें एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नही है।

(f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार सातवीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-

(अ) निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्याताओं का विवरण।

(ब) दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को सम्पन्न हुई छठी वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

(स) 31 मार्च, 2018 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ निदेशकों का प्रतिवेदन तथा ऑडिटर रिपोर्ट।

(द) वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट ।

6. मद संख्या 6 से 10 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्थापित करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

7. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रात: 11:00 से सांय: 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

8. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर बैठक में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

9. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें। कम्पनी द्वारा इनकी प्रति आम सभा के स्थान पर नहीं दी जायेगी।

10. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सातवीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करे।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

13. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205A (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) को घोषणा से 7 वर्षो की अवधि तक दावा/नकदीकरण नहीं करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित कर दी जायेगी।

15. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA (4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं संबंधी विवरण।

कार्यसूची सं. 3, 6 और 7

1. श्रीमती ममता चौधरी, (श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है) कला में स्नातकोत्तर एवं बी.एड. है । वह कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यो में है।
2. श्री नारायण लाल गुर्जर, (श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते है) 12वीं पास है। वह कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यो में है।
3. श्री रामचरण जाट, (श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते है) 12वीं पास है । वह कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यो में है।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर
ह./-

दिनांक : 04 अगस्त, 2018
(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2018 में दी गई मद संख्या 6 से 10 से संबंधित)

मद संख्या : 6

कम्पनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.7 के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर, जिन्हें दिनांक 27.02.2018 से बोर्ड द्वारा कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम सभा तक अपना कार्यभार सभालेंगे। दिनांक 14 जुलाई, 2018 को हुई नांमाकन समिति की बैठक में नांमाकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री नारायण लाल गुर्जर (श्रेणी ए के प्रतिनिधि) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री नारायण लाल गुर्जर, जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(C) के अनुसार है, इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक मंडल में श्रेणी- ए के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण कम्पनी के निदेशक पद हेतु प्रस्तावित करते हैं, यदि उन्हे नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री नारायण लाल गुर्जर, के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नही हैं।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 6 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 7

दिनांक 14 जुलाई, 2018 को हुई नांमाकन समिति की बैठक में नांमाकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री रामचरण जाट (श्रेणी ए के प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री रामचरण जाट, जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(C) के अनुसार है, इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक मंडल में श्रेणी- ए के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण कम्पनी के निदेशक पद हेतु प्रस्तावित करते हैं, यदि उन्हे नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री रामचरण जाट, के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 7 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 8

कम्पनी साल दर साल बढ़ रही है और इसके अधिकतर सदस्यों ने अपने जानवरों की संख्या में वृद्धि की है तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा कम्पनी को एक वर्ष में आपूर्तित किये गये दूध में भी वृद्धि हो रही है। यह भी अनुमानित किया जाता है कि अधिकतर सदस्य अपने जानवरों की संख्या तथा दूध की आपूर्ति में भी वृद्धि करेंगे, जोकि बोर्ड में प्रत्येक श्रेणी (अर्थात श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी) के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगी। अतः यह उपयुक्त होगा कि कम्पनी में तीनों श्रेणियों ,जहां तक संभव हो, वार्षिक दूध संकलन में एक तिहाई का योगदान करेंगी एवं तदनुसार कम्पनी के बोर्ड में प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व एक तिहाई सदस्यों द्वारा होगा। इसलिए, संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए मापदंडों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव में संशोधन को कम्पनी की आम सभा में सामान्य प्रस्ताव पारित करके संशोधित एवं अंगीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके संबन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 9

वर्तमान में, कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 35 करोड़ है, और ज़ारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी रू. 33.89 करोड़ है। कम्पनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कम्पनी की वृद्धि एवं विकास से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी को रू. 50 करोड़ तक बढ़ाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रू. 50 करोड़ तक बढ़ाया जाये तथा इस उद्देश्य हेतु, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियमों मे रूपान्तरित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव में की गई गणना के अनुरूप, लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों की शर्तो के अनुसार, कम्पनी के लिए अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि तथा कम्पनी के बहिर्नियमों में पूंजी से संबंधित अनुच्छेद में बदलाव हेतु सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके संबन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 10

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एवं समय-समय पर लागू होने वाले तथा संशोधित किए जाने वाले कानूनी प्रावधानों के प्रबन्धन के लिए, यह आवश्यक है कि वर्तमान अनुच्छेदों में संशोधन करने पर विचार किया जाये, जिससे विशिष्ट परिस्थितियों में कम्पनी के सदस्यों/निदेशक की नियुक्ति, निरन्तरता एवं निरस्त करने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता लायी जा सके और जहाँ पर आवश्यक हो परिभाषा वाक्यों की संदिग्धता समाप्त कर उनको विस्तरीत अर्थ प्रदान किया जा सके।

इसलिए, विशेष प्रस्ताव में वर्णित अन्तर्नियमों में परिवर्तन, जो कि कम्पनी अंतर्नियमों में कुछ नये प्रावधान के साथ ही कुछ वर्तमान अनुच्छेदों में आवश्यक परिवर्तन और कम्पनी के व्यवसायिक संचालन, कम्पनी के प्रबन्धन में सहजता, किसी भी प्रकार की अनजान अस्पष्टता को दूर करने के लिए और लचीलापन प्रदान करने, की अनुशंसा की जाती है।

आगे, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581-।(1) के अनुसार, कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने की अनुशंसा करने के लिए न्यूनतम दो-तिहाई निर्वाचित निदेशकों या न्यूनतम एक-तिहाई उत्पादक कम्पनी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जायेगा और एक विशेष प्रस्ताव सदस्यों द्वारा आम सभा में पारित किया जा सकता है।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रात: 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके संबन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 10 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर

ह./-

दिनांक : 04 अगस्त, 2018

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN : U01211RJ2012PTC038955

डी-232, 233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,

वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. 91-141-2352736

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेड़वा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर–302027 राजस्थान में सदस्यों की छठी वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 समय प्रात: 10:30 बजे को सम्पन्न हुई जिसकी कार्यसूची का विवरण निम्न है:–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	श्री अनिल कुमार	–	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्री भगवान सहाय	–	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री बलदेव राम बेरवाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री डूँगर सिंह राठौड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती मंजू जाखड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती ममता चौधरी	–	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री सेड़मल शर्मा	–	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री जयसिंह राठौड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री मेवाराम बैरवा	–	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्रीमती गीता देवी गुर्जर	–	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्रीमती कमला देवी	–	निदेशक एवं अंशधारक
12.	डॉ. ओमवीर सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री श्रीराम सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
15.	श्री अनूप गुप्ता	–	कम्पनी सचिव

249 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 32342 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थें।

(अ) श्री अनिल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की।

(ब) कम्पनी सचिव से सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने कोरम पूर्ण की घोषणा की। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूंजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(स) अध्यक्ष महोदय ने छठी वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।

(द) उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से छठी वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(य) तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात सदस्यों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार–विमर्श किया

1.2 श्री धर्मराज यादव (फोलियो संख्या: 58808) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 1/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''दिनांक 31 मार्च, 2017 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता तथा उसकी अनुसुचियों के साथ, उस पर निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री विकाश शर्मा (फोलियो संख्या: 115099) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।

2.1 श्री सुरेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या: 42205) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 2/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 30,72,484 समता अंशो पर रू. 2,95,83,756/- (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रू. 50,03,884/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री जय प्रकाश (फोलियो संख्या: 46627) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री डूँगर सिंह राठौड़ (DIN No.06939769), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

3.1 श्री नरसिंह राम (फोलियो संख्या: 20965) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री डूँगर सिंह राठौड़ (DIN No.06939769),जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, कम्पनी निदेशक जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्री राजु (फोलियो संख्या: 71542) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. कम्पनी के वैधानिक लेखा अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारित करना।

4.1 श्री राधे श्याम माली (फोलियो संख्या: 106996) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 11.80 लाख (अक्षरे ग्यारह लाख अस्सी हजार रूपये) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है।''

श्री धर्मराज यादव(फोलियो संख्या: 19996) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

5.1 श्रीमती संतोष (फोलियो संख्या: 64717) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा एवं एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

श्रीमती गीता (फोलियो संख्या: 68003) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्री सुखपाल जाट को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे।

6.1 श्री भारमल (फोलियो संख्या: 52372) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्री सुखपाल जाट (DIN-06362918) जो ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

श्री रमेश चन्द (फोलियो संख्या: 107118) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. तृतीय वार्षिक आम सभा में पारित सामान्य प्रस्ताव संख्या 11/2014-15 में आंशिक संशोधन करने का अनुमोदन करना।

7.1 श्री सुरेश कुमार सैनी (फोलियो संख्या: 115124) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को आयोजित हुई अंशधारकों की तृतीय वार्षिक आम सभा में प्रस्ताव संख्या: 11/2014-15 में आंशिक संशोधन से कम्पनी की नामांकन समिति के गठन के लिये दिशा निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 5 (ii) के स्थान पर **प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्था या संस्थान, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया हो, का एक विशेषज्ञ; और** को रखे जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

कम्पनी सचिव को सभी कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुओं के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक है।''

श्री किशन लाल (फोलियो संख्या: 8535) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार करना।

8.1 श्री विनोद कुमार शर्मा (फोलियो संख्या: 88639) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 8/2017-2018-छठी आम सभा/11.09.2017

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581ZQ, 582-ZR तथा अगर कोई है, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 31 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान अनुच्छेद 4.3 (ii) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें:-

4.3. (ii) इसके अतिरिक्त, सदस्य सदस्यता जारी रखने के लिए योग्य नही होगा यदि

(a) सदस्य, जो किसी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो जोकि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो।

(b) सदस्य जो किसी ऐसे कृत्य में शामिल है/शामिल हो रहा है, जो कि कम्पनी के कार्य के लिए हानिकारक है या जिसने कम्पनी के हित एवं प्रतिष्ठा की क्षति की है या कर सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

श्री सोहन यादव (फोलियो संख्या: 64726) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अत: अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

ह./-

दिनांक: 4 अक्टूबर, 2017 **अध्यक्ष**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	846,403
व्यापार (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद)	रूपये लाखों में	137,160
अन्य आय	रूपये लाखों में	485
कुल आय	**रूपये लाखों में**	**137,645**
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	118,559
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	17,553
कुल व्यय	**रूपये लाखों में**	**136,112**
कर से पूर्व लाभ (अ–ब)	**रूपये लाखों में**	**1,533**
	% विक्रय पर :	**1.12%**

(ब) पूंजीगत बजट 2018–2019

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	600
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	50
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	150
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	100
मिल्क बूथ	रूपये लाखों में	60
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	75
कुल	**रूपये लाखों में**	**1,035**

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

सदस्य कोड :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, 10 सितम्बर, 2018 को प्रात: 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 पर होने वाली सातवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

जो लागू नही होता है, उसे काट दें।

PAAYAS
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड | | | | | | | | | | | | | | | | |

मैं...निवासी..

.... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का

सदस्य एतद्द्वारा श्री/श्रीमती..फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी .... और उनकी अनुपस्थिति

में श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी ....को

कम्पनी की सोमवार, 10 सितम्बर, 2018 को प्रात: 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली सातवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट डालने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ।

₹1/-
रेवेन्यू टिकट

(हस्ताक्षर)

दिनांक .... को हस्ताक्षर किये गये।

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

PAAYAS
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

एम.सी.सी. का नाम ....एम.पी.पी. का नाम एवं कोड ....

फोलियो संख्या : ....

सदस्य कोड :																

मैं...

निवासी...

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य / की सदस्या हूँ। मैनें कम्पनी द्वारा भेजी गई छठी वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

दिनांक : ....

स्थान : ....

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–4202108
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Linkintime India Pvt. Ltd., New Delhi)